

एफ.सं. 12/3/2016-जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

स्थापना (जेसीए-2) अनुभाग

\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 2 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- कर्नाटक के विधान सभा और लोक सभा के उप चुनाव-संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि कर्नाटक विधान सभा और लोक सभा के निम्नलिखित विधान सभा और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए दिनांक 03.11.2018 को उप-चुनाव करवाए जाएंगे:-

क्र.सं.	विधान सभा और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं नाम
1.	14- सिमोगा पीसी
2.	9- बेल्लारी (एसटी) पीसी
3.	20- मण्डया पीसी
4.	183- रमनाग्राम एसी
5.	21- जामखण्डी एसी

2. इस संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2001 के का.ज्ञा.सं. 12/14/99-जेसीए के माध्यम से अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिनका संबंधित राज्यों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाना है।

4. उपर्युक्त अनुदेशों को सूचना और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

*राजू सारस्वत*

(राजू सारस्वत)

अवर सचिव (जेसीए)

टेलीफोन : 2309 2110

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/केंद्रीय सतर्कता अयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय/कर्नाटक उच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय/गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
6. कर्नाटक राज्य की राजधानी के केंद्रीय सरकार की कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों के अध्यक्ष/सचिव।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
8. कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्य सचिव।
9. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 01.11.2018 के पत्र सं. 100/केटी/2018-एसएस-11 के संदर्भ में।